न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 384 / 2020 ::

उनवान रामधन बनाम नोरती

1. रामधन जाट पुत्र लक्ष्मण जाट जाति जाट निवासी ग्राम जुगलीपुरा आयु 38 साल जिला अजमेर। — प्रार्थी

बनाम

1. नोरती आयु 62 साल पत्नी नोरता बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
2. सूरजकरण आयु 36 साल पुत्र नोरता बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।
4. जरिये बैंक प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक 24.06.2022

प्रार्थी की और से वकील श्री सुरेशशर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई, बाद तामिली प्रतिवादी संख्या 01,02 व 04 अनुपस्थित रहे। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे व काश्त की एकल खातेदारी की कृषि भुमि ग्राम गहलपुर , तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित है जिसके खसरा संख्या 171 रकबा 0.3560 हैक्टेयर है जिसका प्रार्थी काबिज होकर खातेदार काश्तकार है उक्त आराजीयात में प्रार्थी एवं समीपवर्ती काश्तकारों के आने जाने के लिय सकडी पगडण्डी का रास्ता ही उपलब्ध है जिसके प्रा[illegible] समीपवर्ती काश्तकारों को स्वयं की आराजीयात में कश्त करने या काश्त [illegible] लाने तथा ले जाने का किसी भी मार्ग की सुगम उपलब्धता [illegible] ही समीपवृती दूसरा मार्ग उपलब्ध है जिसके आवागमन किया जा सकता है एवं उक्त ख[illegible] संख्या पर स्वयं के [illegible] कटाई मशीनरी, यथा ट्रेक्टर रीपर, पशुओं के लिये प्रतिदिन स्वयं की काश्त भूमि पर कटाई

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.26 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

व बुवाई एवं चराई के लिये एवं पशुओं के लिये प्रतिदिन रजका चारा लाने के लिये मय ट्रेक्टर ट्राली से आवागमन करना होता है जिसे अप्रार्थीगण बार बार अवरोध बनाकर आये दिन प्रार्थी व समीपवर्ती काश्तकारों को परेशान करतें रहतें हैं जिसके लिये काश्तकारों को स्वयं की उारोक्त वर्णित उपज व संसाधनों को लाने ले जाने के लिये 30 फीट के रास्ते की अति आवश्यकता है। मुख्य रास्ता अप्रार्थीगण के काश्तकारी आराजीयात के खसरा संख्या 216 गै. मु. रास्ता से लगायत है तथा आरजीयात सरकारी भूमि खसरा संख्या 665/192 एवं अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 205, 589/192 प्रार्थी की आराजीयात से लगवा भूमि है तथा मुख्य रास्ते से समीपवृति स्थित है जिससे प्रार्थी को एवं समीपवर्ती काश्तकारों को आवागमन की असुविधा को दूर करने के लिये उपरोक्त अप्रार्थीगणों के खसरों से 30 फीट चौडा रास्ता बनाया जाना आवश्यक है जिसके लिये जो भी शुल्क माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया जायेगा प्रार्थी उसे देने के लिये तैयार व तत्पर है। रास्ता जिसको प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा में दर्शित किया गया है उक्त रास्ता को कायम किया जाकर उक्त 30 फीट चौडे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा उसकी तरमीम भी करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी सख्या 01,02,04 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 13.10.2020 को तहसीलदार अरांई की रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार रिपोर्ट में तहसीलदार अरांई द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी रामधन पुत्र लक्ष्मण जाति जाट की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 171 में से निकटतम रास्ता 205, 589/192, 665/192 में से संलग्न नजरी नक्शें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। नजरी नक्शे के मुताबिक 30 फीट चौडे रास्ते हेतु संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। दिनांक 28.04.2022 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 171 रकबा 0.3560 हैक्टेयर में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 205 रकबा 0.2993 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 589/192 रकबा 0. 4530 हैक्टैयर तथा राज्य सरकार की भूमि खसरा संख्या 665/192 रकबा 0.9304 हैक्टैयर (गै.मु.खारडा) में से 30 फीट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है, श्रीमान से निवेदन है कि उक्त रास्ता को कायम किया जाकर 30 फीट चौडे रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा उसकी तरमीम भी करने के आदेश प्रदान करावें।

अतः वकील वादी की बहस तथा तहसीलदार अरांई की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा तह[illegible] अरांई को मौका रिपोर्ट क्रमांक 7633 दिनांक 13.10.2020 के अनुसार ग्राम [illegible] भूमि खसरा संख्या 171 में आवागमन के लिये ग्राम गेहलपुर स्थित अप्रार्थी [illegible] 02 की भूमि खसरा संख्या 205 रकबा 0.2993 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 589/192 रकबा [illegible].4530 हैक्टैयर तथा राज्य सरकार की भूमि खसरा संख्या 665/192 रकबा 0.9304 हैक्टैयर (गै.मु.खारडा) में से 20 फीट चौडे रास्ते अनुरूप भूमि अधिग्रहित कर वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर के दुगुने का प्रतिकर जरिये रजिस्टर्ड डी.डी. अप्रार्थी संख्या 01,02,03 को प्रार्थी के द्वारा प्रदत्त किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.26 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested

पर अधिग्रहित भूमि की 20 फीट चौडे रास्ते हेतु तरमीम करे तथा अधिग्रहित भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता सिवायचक दर्ज करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

24/6/22

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.09.26 18:00:35 IST
Reason: SelfAttested